

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/एलएचवी/एस-10/2017/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती शारदा जोनवाल, एलएचवी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झिराना, टोंक को पुत्र से मिलने व विदेश भ्रमण (ब्रिटेन एवं यूरोपियन यूनियन) विदेश जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती हैं:-

1. कार्मिका विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेंगी तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

-sd-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/एलएचवी/एस-10/2017/444

दिनांक:- 3-7-2017

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके क्रमांक: 79/एमओएस/एमएच/17 दि. 19.06.2017 के क्रम में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर को उनके क्रमांक: 3558/एमएच/2017 दि.19.06.2017 के संदर्भ में।
3. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक: 976 दि. 15.06.2017 के संदर्भ में।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को उनके पत्र क्रमांक 1604 दिनांक 20.04.2017 के संदर्भ में।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झीराना, टोंक।
6. श्रीमति शारदा जोनवाल, एलएचवी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर